

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या: 05/2025

दर्ज दिनांक: 07.01.2025

जी.सी.एम.एस. नं: 2025/19

1. शिवराम सिंह पुत्र बीरबल निवासी पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।  
प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

अप्रार्थी.....

प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक:-22.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 216 पुराना खाता सं. 208 के ख.नं. 696 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 809 रकबा 0.57 ख.नं. 810 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर भूमि पुखता अवस्थित है तथा दूसरी भूमि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 197 पुराना खाता सं. 192 क खसरा सं 639 रकबा 0.46 हैक्टर ख.सं 640 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 641 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 844 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 845 रकबा 1.39 हैक्टर ख.सं. 848 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टर भूमि पुखता उक्त दोनों भूमियों की वर्तमान जमाबन्दियां मय दस्तावेज सूची संलग्न परिवाद है। उक्त वर्णित भूमियां आवेदक के पिता बीरबल की भूमि थी उसकी मृत्यु के बाद सहखातेदारी में आवेदक के नाम से दर्ज हो गयी तथा आवेदक का नाम गलती से शिवराम सिंह पुत्र बीरबल के स्थान पर श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया है। आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम शिवराम सिंह पुत्र बीरबल के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकार्ड में शिवराम सिंह पुत्र बीरबल की जगह श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में शिवराम सिंह पुत्र बीरबल दर्ज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र बीरबल से दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 216 पुराना खाता सं. 208 के ख.नं. 696 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 809 रकबा 0.57 ख.नं. 810 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर भूमि पुखता अवस्थित है तथा दूसरी भूमि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 197 पुराना खाता सं. 192 क खसरा सं 639 रकबा 0.46 हैक्टर ख.सं 640 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 641 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं.

४

844 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 845 रकबा 1.39 हैक्टर ख.सं. 848 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टर में प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल को सही नाम शिवराम सिंह पुत्र बीरबल से दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/774 दिनांक 02.04.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 216 पुराना खाता सं. 208 के ख.नं. 696 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 809 रकबा 0.57 ख. नं. 810 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर भूमि पुखता अवस्थित है तथा दूसरी भूमि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 197 पुराना खाता सं. 192 क खसरा सं 639 रकबा 0.46 हैक्टर ख.सं 640 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 641 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 844 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 845 रकबा 1.39 हैक्टर ख.सं. 848 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टर प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र बीरबल किया जाना उचित है।


बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 216 पुराना खाता सं. 208 के ख.नं. 696 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 809 रकबा 0.57 ख.नं. 810 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर भूमि पुखता अवस्थित है तथा दूसरी भूमि ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 197 पुराना खाता सं. 192 क खसरा सं 639 रकबा 0.46 हैक्टर ख.सं 640 रकबा 0.48 हैक्टर ख. सं. 641 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 844 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 845 रकबा 1.39 हैक्टर ख.सं. 848 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टर भूमि पुखता उक्त दोनों भूमियों की वर्तमान जमाबन्दियां मय दस्तावेज सूची संलग्न परिवाद है। उक्त वर्णित भूमियां आवेदक के पिता बीरबल की भूमि थी उसकी मृत्यु के बाद सहखातेदारी में आवेदक के नाम से दर्ज हो गयी तथा आवेदक का नाम गलती से शिवराम सिंह पुत्र बीरबल के स्थान पर श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया है। आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम शिवराम सिंह पुत्र बीरबल के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकार्ड में शिवराम सिंह पुत्र बीरबल की जगह श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में शिवराम सिंह पुत्र बीरबल दर्ज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र बीरबल से शुद्ध व दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

8

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 216 पुराना खाता सं. 208 के ख.नं. 696 रकबा 1.12 हैक्टर ख.नं. 809 रकबा 0.57 ख.नं. 810 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टर, पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 197 पुराना खाता सं. 192 क खसरा सं 639 रकबा 0.46 हैक्टर ख.सं 640 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 641 रकबा 0.48 हैक्टर ख.सं. 844 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 845 रकबा 1.39 हैक्टर ख.सं. 848 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र बीरबल व शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर शिवराम सिंह पुत्र बीरबल शुद्ध/दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुमन सोनल)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी